तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहकाम हुक्म में ज
26/11/19	वकील प्रार्थी उप० प्रा०पत्र 136 L.R. Act. स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)	

निर्णय न्यायालय श्री विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
115/2019	6.9.2019	26.11.2019

फत्याराम उर्फ पून्या सुखदेव, बैरवा निवासी नौगांव तह0 गंगापुर सिटी

——प्रार्थी

बनाम

स्टेट होल्डर द्वारा तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी ——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित :– श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट प्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

प्रार्थी फत्याराम उर्फ पून्या ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि खाता संख्या 265 की भूमि खसरा 1012, 1516, 870, 880, 882 ग्राम नौगॉव की खातेदारी प्रार्थी के नाम पून्या पुत्र सुखदेव के नाम से दर्ज है। जबकि पून्या प्रार्थी का घर का नाम है अन्य सरकारी रिकार्ड व दस्तावेज में प्रार्थी का नाम फत्याराम पुत्र सुखदेव दर्ज है जो सही है। फत्याराम व पून्या एक ही व्यक्ति के दो नाम है। ग्राम मे पून्या पुत्र सुखदेव व फत्याराम पुत्र सुखदेव नाम का अन्य कोई व्यक्ति नही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि संवत 2073 से 2076 की जमाबंदी के खाता संख्या 265 की भूमि ख0न0 1012, 1516, 870, 880, 882 ग्राम नौगॉव मे प्रार्थी का नाम पून्या पुत्र सुखदेव के स्थान पर पून्या उर्फ फत्याराम पुत्र सुखदेव दर्ज करने के आदेश दिये जावे तथा इसी अनुसार समस्त राजस्व अभिलेख व हाल जमाबंदी मे इन्द्राज दुरूस्ती हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी ने नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 265 ग्राम नौगाव, छायाप्रति मतदाता पहचान पत्र, छायाप्रति परिवार राशन कार्ड, छायाप्रति आधार कार्ड, छायाप्रति बैंक पास बुक, छायाप्रति भामाशाह कार्ड प्रस्तुत किये है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट तहसीलदार गंगापुर सिटी से मंगवाई गई।

तहसीलदार गंगापुर सिटी के पत्रांक राजस्व/2019/2000 दिनांक 14.10.2019 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई।

प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान वकील प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम पून्या के स्थान पर फत्याराम उर्फ पून्या दर्ज करने का कष्ट करे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं रिपोर्ट तहसीलदार गंगापुर सिटी का अवलोकन किया गया। तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया है कि परिजनो एवं ग्रामवासियो से ली

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

ई जानकारी अनुसार पून्या पुत्र सुखदेव का सही नाम फत्याराम पुत्र सुखदेव है, पून्या बोलचाल का नाम है एवं पून्या व फत्याराम एक ही व्यक्ति के दो नाम है। अन्य रिकार्ड मे भी प्रार्थी का नाम फत्याराम दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी का सही नाम पून्या के स्थान पर फत्याराम किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम नौगांव की जमाबंदी सं0 2070 से 2073 के खाता संख्या 265 की भूमि ख0न0 1012, 1516, 870, 880, 882 में प्रार्थी का नाम पून्या के स्थान पर फत्याराम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। खाता संख्या 265 की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी। आदेश की पालना हेतु आदेश की एक सत्य प्रतिलिपि तहसीलदार गंगापुर सिटी को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2019.12.24 10:09:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: